ISSN-2230-7540

भारत के पड़ोसी देशों के साथ जल संधियां

Survind Kumar*

Department of Political Science,

B.R.A. Bihar University,

Muzaffarpur

सार

हिमाचल से निकलने वाली कई प्रमुख नदियां जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता, महाकाली आदि अंतराष्ट्रीय नदियां हैं क्योंकि ये नदियां भारत और उसके कई पड़ोसी देशों के इलाकों से होकर बहती है। इस कारण जल बंटवारे में परस्पर सहयोग के लिए भारत ने पड़ोसी देशों के साक कई संधियां की है। इन संधियों में भारत ने पड़ोसी देशों के प्रति भरपूर उदारता दिखाई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार भारत में सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट कर 1,560 घन मीटर रह गई है, जो चिंता का विषय है।

शब्द कुंजी - संधियां, पड़ोसी देश, संयुक्त राष्ट्र, अंतराष्ट्रीय नदियां, संविधान

METHODOLOGY:

शोध के विषय को समझने के लिए अवलोकन अनुसंधान और अवलोकन संबंधी तर्कसंगत तरीकों पर आधारित शोध-कार्य किया गया हैं। विभिन्न सांख्यिकीय और कार्टोग्राफिक विधियों ने जहां कभी आवश्यक हो, लागू किया गया है। वर्तमान अनुसंधान अध्ययन दोनों प्राथमिक और माध्यमिक डेटा पर आधारित है। व्यक्तिगत अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली अनुसूची आदि के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों का इस शोध पत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह रिसर्च केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), आर्थिक सर्वेक्षण, भारत के योजना आयोग, भारत सरकार की वेबसाइट और अन्य प्रासंगिक वेबसाइटों जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुभवजन्य डेटा के आधार पर है। साथ ही रिसर्च जर्नल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का भी प्रयोग किया गया है।

भारत बांग्लादेश के बीच अंतराष्ट्रीय नदी जल-बंटवारे के लिए *1972* से, जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग कार्यरत है। फिलहाल तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री की मई में हुई भारत यात्रा के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री से बातचीत कर 'मैत्रीपूर्ण' समाधन की वकालत की। इससे पहले प्रधनमंत्री मनमोहन सिंह की सितंबर *2011* में बांग्लादेश यात्रा के दौरान तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर बातचीत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असहमतिपूर्ण रुख के कारण संधि का रूप नहीं ले सकी। तीस्ता समझौता न होने से नाराज बांग्लादेश ने फेनी नदी पर भी भारत के साथ समझौता नहीं किया और जल बंटवारे का पूरा पैकेज ही चरमरा गया।

ISSN-2230-7540

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच दायित्वों के बंटवारे के संबंध् में संविधान के प्रावधानों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधन के अनुच्छेद *246* में संसद और राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाने के विषयों के बारे में प्रावधान है। संविधान में, जल राज्य सूची की *17*वीं प्रविष्टि में शामिल है। यह प्रविष्टि केंद्रीय सूची की *56*वीं प्रविष्टि के अधीन है। भारतीय संविधान के उक्त प्रावधानों के बावजूद केंद्र ने तीस्ता जल संधि की शर्तों पर ढाका के साथ वार्ता में बांग्लादेश के पक्ष में उदारता दिखाते हुए पश्चिमी बंगाल के हितों की अनदेखी कर दी और इसे निष्पन्न कार्य के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया।

जल एक अपरिहार्य संसाधन है जिसकी आपूर्ति बहुत सीमित है। इसलिए जल भावनात्मक और राजनैतिक रूप से बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। पिछले घटनाक्रम में तीस्ता संधि की राह में ममता बनर्जी की असहमति प्रमुखता से प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में अमेरिकी विदेश मंत्री की ममता बनर्जी से मुलाकात के क्रम में बांग्लादेश की विदेश मंत्री का कथन महत्वपूर्ण है, *"*यदि भारत तीस्ता मुद्दे पर अपने वादे को पूरा नहीं करता तो भारत-बांग्लादेश संबंधों को भारी धक्का लगेगा।*"* यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत ने बांग्लादेश को हाल में दिए *1* बिलियन डॉलर के कर्ज में से *200* मिलियन डॉलर उदारतापूर्वक माफ कर दिए हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच ज्यादा विशाल गंगा नदी के जल-बंटवारे को लेकर *1996* से ही एक संधि मौजूद है जिसमें सूखे मौसम में भी सीमा-पार न्यूनतम जल प्रवाह की भारत द्वारा गारंटी दी गई है जो अंतरराष्ट्रीय जल संबंधों में एक नया सिद्धांत है। वास्तव में यह संधि गंगा के नीचे की ओर जल प्रवाह को दोनों देशों में बराबर-बराबर बांटती है। इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत लंबे समय से घोषित अपने रुख को, कि उसे अपने कलकत्ता बंदरगार से गाद बहाने के लिए न्यूनतम *40,000* क्यूसेक जल चहिए, बदलते हुए मार्च से मई के बीच बारी-बारी *35,000* क्यूसेक जल दोनों देशों को देने के लिए सहमत हो गया। इस संधि से फरक्का बैराज के जरिए जल को मोड़कर गंगा की सहायक नदी भागीरथी-हुगली में डालने की भारत की कार्रवाई, ताकि सूखे मौसम में कलकत्ता हर्बर को चालू रखा जा सके, पर हुआ विवाद शांत हो गया। यह संधि दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास बनाए रखने के मदद के लिए प्रवाह पर संयुक्त निगरानी के जटिल प्रावधान पर टिकी हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी संधि, जिसमें अमेरिका और विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के लिए मध्यस्थता की थी, के विपरीत इस संधि में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए कोई तीसरा पक्ष नहीं था, हालांकि अमेरिका ने इसके लिए प्रस्ताव किया था।

बांग्लादेश में, जहां संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता *8,252* घन मीटर (भारत के पांच गुना से भी ज्यादा) है, के मुकाबले भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति बड़ी विकट होते हुए भी दोनों देशों के बीच, बिना किसी तीसरे पक्ष के तीस्ता जल संधि पर हस्ताक्षर होने की संभावना है जो *21*वीं सदी में दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय जल-संधि होगी। बांग्लादेश का आग्रह है कि उसे तीस्ता आधा जल मिले। दुनिया में अन्यत्र हुई मौजूदा जल-बंटवारा संधियों में नदी मार्ग के नीचे की तरफ स्थित देश को आधा तो क्या, आधे के आस-पास भी हिस्सा कहीं भी नहीं दिया गया है। भारत की यह असहज उदारता रही है कि उसने नदी मार्ग के नीचे की तरफ स्थित पड़ोसी देशों के साथ खुले दिल से जल बंटवारा किया है जबकि खुद अपने लिए जल बंटवारे की अवधारणा पर नदी मार्ग में ऊपर की तरफ स्थित चीन को सहमत करने में वह असफल रहा है।

प्रस्तावित तीस्ता संधि से यह संकेत मिलता है कि भारत ने सिंधु नदी संधि के अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया है। तीस्ता का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में है और यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी हिस्से के लिए तीस्ता जीवनरेखा है। इसलिए स्वाभाविक ही है कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीस्ता संधि वार्ता से अब तक दूरी बना रखी है।

देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरत इस बात की है कि देश का केंद्रीय नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय जल संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले संबंधित प्रांतों के हितों को ध्यान में रखें, जिन्हें किसी भी रूप में राष्ट्रीय हितों से अलग नहीं माना जा सकता व क्षेत्रीय नेतृत्व को विश्वास में लें।

सबसे ज्यादा उदार जल-संधि

19 सितंबर, *1960* को विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और इसकी सहयोगी नदियों (झेलम, चिनाव, रावी और सतलज) के जल बंटवारे के संबंध में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में अनिश्चित काल के लिए सिंधु प्रध्णाली का *80.52* फीसदी जल पाकिस्तान को दे दिया गया है। आधुनिक विश्व इतिहास में यह उदारतम जल बंटवारा संधि है। इस संधि के अधीन भारत द्वारा

ISSN-2230-7540

पाकिस्तान के लिए निर्धारित जल की मात्रा *1944* की यूएस-मेक्सिको जल संधि के अधीन अमेरिका द्वारा मेक्सिको के लिए छोड़े जाने वाले जल की मात्रा से *90* गुना से भी ज्यादा है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच हुई जल संधि में कोलोरेडो नदी के जल में से, जो सात अमेरिकी प्रांतों में से गुरजने के बाद काफी पतली हो जाती है, मेक्सिको को *1.85* बिलियन क्यूबिक मीटर जल सालाना देने का प्रावधान है। सिंधु जल संधि से हमारे जम्मू-कश्मीर प्रांत के हित प्रभावित होते हैं।

उल्लेखनीय है कि सिंधु-संधि ने जम्मू कश्मीर प्रांत को उसके एकमात्र संसाधन जल से वंचित कर दिया है। इस संधि में प्रांत की तीन मुख्य नदियां चिनाब और झेलम और मुख्य सिंधु धारा को पाकिस्तान के प्रयोग के लिए आरक्षित कर दिया गया है जिससे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और रोष पनपा है। परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर राज्य विधायिका ने *2002* में एक प्रस्ताव पारित कर सिंधु संधि की समीक्षा औश्र उसे रद्द करने की मांग की है। प्रांत में बिजली की भरी कमी के कारण विकास के बाधित होने से उत्पन्न जन-रोष को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बगलिहार और किशनगंगा जल-विद्युत परियोजनाएं शुरू की है। पर भारतीय प्रांत जम्म-कश्मीर की जल समस्या की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान बगलिहार परियोजना को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष विशेषज्ञ और किशनगंगा परियोजना को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायासलय के समक्ष ले गया है। किशनगंगा परियोजना पर पिछले साल मध्यस्थता न्यायालय के निर्देश पर काम रोक दिया गया है।

भारत और चीन के बीच जल बंटवारा:-

एक साल पहले चीन ने तिब्बत में बांधों की एक शृंखला और जांगमू में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की योजनाएं घोषित कीं। यह योजना जल शक्ति के लिए हिमालयी नदियों के दोहन की बीजिंग की व्यापक पहल का एक हिस्सा है। जांगमू परियोजना मूलतः जल विद्युत परियोजना है जो विशेषज्ञों की राय में चिंता का कारण नहीं है क्योंकि इससे नदी के अनुप्रवाहगामी प्रवाह पर असर नहीं होगा। दुर्गम भू-संरचना के कारण तिब्बत की ज्यादातर नदियों का उपयोग नहीं किया जा सका था। पर पिछले दशक में प्रौद्योगिकीय सुधारों के बल पर चीनी नेतृत्व दक्षिण-पश्चिम में तिब्बती पर्वतों और यन्नान में बांधों का दौर शुरू करने जा रहा है। इन नदियों के अनुप्रवाहगामी स्थित सात देशों भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाइलैंड के नलनाखें लोगों के जीवन पर इन योजनाओं का असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्टो के अनुसार यन्नान की सालवीन नदी पर बांधों के बनाए जाने से अनुप्रवाहगामी मेकांग क्षेत्र के कंबोडिया, लाओस व वियतनाम में बाढ़ आ गई थी।

डाइवर्शन योजना:- ब्रह्मपुत्र या यार्लुंग-सांगपो पर काम अभी शुरूआती दौर में है। इस नदी पर चीन की परियोजनाएं दो तरह की हैं - एक जल विद्युत उत्पादन के लिए और दूसरी ज्यादा महत्वाकांक्षी जो अभी प्रक्रिया में है, बहते पानी की दिशा मोड़ने की एक विशाल परियोजना जिसमें नदी जल को सूखे उत्तर की ओर मोड़ा जाएगा।

चीन के जल संसाधनों के विशेषज्ञ कैलीफोर्निया इर्विन विश्वविद्यालय के केनेथ पामरेंज का कथन है कि इस मुद्दे पर चीन लाभप्रद स्थिति में है क्योंकि अंतराष्ट्रीय कानून कमजोर है और दोनों देशों के बीच कोई जल बंटवारा व्यवस्था नहीं है। भारत-चीन वार्ताओं मेगं भी जल कभी मुद्दा नहीं रहा है। अब इसे कार्य सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार के पूर्व जल संसाधन सचिव रामास्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावित डाइवर्शन में जल की मात्रा व उसका भारत में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर असर भारत के लिए केंद्रीय विचार बिंदु है। हां, ये जल विद्युत परियोजनाएं भारत के हितों पर असर नहीं डालेंगी यदि टबाईनों से गुजरने के बाद जल को वापस नदी में ही छोड़ा जाए। पर भारत सरकार को चीन से उसकी योजनाओं के बारे में लगातार पूछताछ करते रहना चाहिए।

समाधान

भारत और चीन के बीच भरी रिक्तता स्थिरता और भारत की जल-सुरक्षा के हित में नहीं है। जल विद्युत परियोजनाओं के भी संभावित आपदाकारी प्रभाव हो सकते हैं यदि जल प्रवाह को घटाने वाले पर्याप्त बड़े, बहुत से बांध बना लिए जाएं। फिलहाल ऐसे हालात नहीं है। भारत को चीन के साथ जल के मुद्दे पर वात्र्ता में 'निषिद्ध क्षेत्रों' पर विचार-विमर्श कर उन्हें परिभाषित करना चाहिए व बुनियादी नियम निर्धारित करने चाहिए। दोनों देशों में अधिकारी स्तर पर वार्ताओं के तीन दौर हुए हैं। दोनों देशों के बीच कार्यकारी समूह-तंत्र कार्यरत है पर किसी मजबूत सहमति के लिए वह अधिकृत नहीं है। जब तक दोनों देशों के बीच कोई संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं होता, भारत किसी संधि तक पहंुचने के

ISSN-2230-7540

लिए चीन पर बुनियादी तौर से निर्भर है व ऐसी कोई संधि भारत के लिए चीन का अनुग्रह होगी। भारत को ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। हालात की अनदेखी से हीं ऐसा न हो कि चीन अपने बांधों का निर्माण पूरा कर लेने के बाद भारत को सूचित करे व उसे स्वीकारने के सिवाय हमारे लिए दूसरा विकल्प न बचे।

REFERENCES

[1] *Central Groundwater Board (*2017). *Dynamic Groundwater Resources of India (as on* 31*st March* 2013). *Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India, June* 2017, 280 *p.*

[2] *Drought and Flood Management, Lesson* 2 *of Module* 6 *- Management of Water Resources, CE IIT, Kharagpur,* 28 *p.*

[3] *Groundwater Resource Estimation Methodology* – 2015. *Report of the Groundwater Resource Estimation Committee (GEC-*2015), *Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India, New Delhi, October* 2017, 137 *p.*

[4] *Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater in India (*2013). *Central Groundwater Board, Ministry of Water Resources, New Delhi,* 2013, 208 *p.*

[5] *Report on Workshop to Identify R&D Needs in Hydrology and Water Resources, IIT Guwahati, July* 17-18, 2014, 24 *p.*

[6] *The Environment (Protection) Act,* 1986, *Ministry of Environment & Forests, Government of India, New Delhi,* 14 *p.*

[7] *Water (Prevention and Control of Pollution) Act,* 1974, 31 *p.*

[8] *Website - Central Groundwater Board (CGWB), Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India, http://cgwb.gov.in/*

[9] *Website - Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, http://mowr.gov.in/*

[10] *Website - Press Information Bureau, Government of India, http://www.pib.nic.in/*

Corresponding Author

Survind Kumar*

Department of Political Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

survindkumar555@gmail.com